न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/7847/2006/दौसा

रामसिंह पुत्र जौहरीलाल जाति गुर्जर निवासी भौपुर शाहपुर तहसील महवा जिला दौसा

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री मोड़ूदान देथा, सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थितः श्री योगेन्द्रसिंह वकील अपीलार्थी
श्री वी.पी.सिंह राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः.25.03.2019

1. यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 51/2002 में पारित निर्णय दिनांक 19.8.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी वर्तमान अपीलार्थी ने एक दावा घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा के शीर्षक से सरकार जरिये तहसीलदार, महवा को प्रतिवादी अंकित कर सहायक कलक्टर, महवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। वादपत्र में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 2/1/4 ग्राम जगरामपुरा तहसील महवा जिला दौसा में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 2/1 रकबा 344 बीघा 3 बिस्वा वाके जगरामपुरा साबिका में सरकारी भूमि रही है। इस भूमि में से 5 बीघा भूमि को काबिल काश्त बनाकर वादी काश्त करने लगा जिसे वादी के हक में नियमन कर दिया गया तथा खातेदारी अंकित कर दी गई। इस सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या 18 स्वीकृत हो कर नक्शे में तरमीम हो गई। लगान की अदायगी कर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में चना व सरसों की फसल है। आराजी मुतनाजा (विवादग्रस्त) की लगान वसूल करने के अतिरिक्त कोई सरकारी अधिकार शेष नहीं है किन्तु जबरन बेदखल करने पर कृत संकल्प है। इस हेतु धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का नोटिस

दिया है। बेदखल करने से हानि होगी। खसरा नम्बर 2/1/4 का तन्हा खातेदार घोषित होने तथा निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा।

3. प्रतिवादी ने जबाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 2/1/4 का ग्राम जगरामपुरा में होने का बिन्दु स्वीकार है तथा खसरा नम्बर 2/1 रकबा 344 बीघा 3 बिस्वा चारागाह भूमि वाके जगमरामपुरा मुताबिक रेकार्ड दर्ज है। जिसकी किस्म 344 बीघा चारागाह एवं 3 बिस्वा आबादी दर्ज है। खसरा नम्बर 2/1/4 रकबा 5 बीघा जरिये नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 6.9.84 के द्वारा सायल के हक में नियमन की जाकर गैर खातेदारी दर्ज की जा चुकी है। जिसका अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में किया जा चुका है तथा गैर खातेदारी के रकबा 1.25 हेक्टर को छोडकर शेष रकबा 0. 85 हेक्टर के संदर्भ में धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गई है। जिसका निर्णय दिनांक 13.2.96 को किया। गैर खातेदारी से बेदखल नहीं कर 0.85 हेक्टर से बेदखल किया गया है। वादी की भूमि पर कोई मजाहमत व मदाखलत नहीं की गई है।

4. विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर 5 तनकियात की विरचना की। वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए तथा वादी की ओर से पी.डब्ल्यू.1 रामसिंह, पी.डब्ल्यू.2 महाराजसिंह, पी.डब्ल्यू. 3 राजूलाल के तथा प्रतिवादी की ओर से पूरनचन्द गुप्ता तहसीलदार, महवा डी.डब्ल्यू.1 व विजेन्द्रसिंह पटवारी डी.डब्ल्यू.2 के बयान कराए गए।

5. विचारण न्यायालय ने दावा वादी साबित नहीं होने से निर्णय दिनांक 28.1.2002 से खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो उनके निर्णय दिनांक 19.8.2006 से खारिज की गई। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 2/1/4 रकबा 5 बीघा का नियमन दिनांक 30.10.77 को किया गया एवं इसका अमल दरामद अभिलेख में नामान्तरकरण संख्या 18 द्वारा दिनांक 6.9.84 को किया जा चुका है। प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने जबाबदावे में इसे स्वीकार किया है। तनकी संख्या 1 का निर्णय करते समय स्वंय विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि का नियमन किया जाना व वादी को गैर खातेदार होना माना है। परन्तु वाद को खारिज किया है जो अनुचित व विधि विरूद्ध है। पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्यों के उपलब्ध होने के उपरांत भी साक्ष्य नहीं होने को आधार मानकर निर्णय दिया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी साक्ष्यों को देखे बिना ही निर्णय दिया है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से वादी अपीलार्थी

को 5 बीघा भूमि का नियमन किया जाना व उसका राजस्व अभिलेख में अमल किया जाना साबित है। हाल भू प्रबन्ध में विवादित भूमि को गलत रूप से चारागाह दर्ज किया गया है जिससे वादी को उसके गैर खातेदारी की भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। अस्थाई व्यादेश के प्रार्थनापत्र में यह स्वीकारते हैं कि 5 बीघा खसरा नम्बर 2/1/4 में है तो उसकी खातेदारी सही जगह पर विवेचन करदें तथा इसी अनुरूप तहसील जबाब दे। भू प्रबन्ध पूर्व व पश्चात की स्थिति को तहसीलदार ने अपने जबाब में सही निरूपित नहीं कर चतुर लेखनी का उपयोग किया है जो अनुचित है और ऐसे जबाब पर आधारित निर्णय निरस्त कर खातेदारी दी जावे। अतः अपील स्वीकार की जावे।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी का वाद स्पष्ट कथनों के साथ स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी अपीलार्थी द्वारा चारागाह भूमि खसरा नम्बर 24 व 90 पर अतिक्रमण किया गया है जिससे धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस देकर बेदखल किया गया है। अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि होकर चारागाह भूमि है जो वादी अपीलार्थी को नियमन नहीं की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अतः यह अपील खारिज की जावे।

8. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषको की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. वादी ने वाद पत्र में आराजी खसरा नम्बर 2/1/4 का खातेदार घोषित करने तथा निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। वादी ने अपने वादपत्र में नामान्तरकरण संख्या 18 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जो प्रदर्श पी–2 है। इसके अनुसार यह नामान्तरकरण वादी के पक्ष में खसरा नम्बर 2/1/4 रकबा 5 बीघा का स्वीकृत हुआ है। वादी ने नक्शा ट्रेस ग्राम जगरामपुरा खसरा नम्बर 2/1/4 का प्रस्तुत किया है जो प्रदर्श पी–1 है। इसके अनुसार खसरा नम्बर 2/1/4 की नक्शे में तरमीम है। वादी ने जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2044 खाता संख्या 9/7 मौजा जगरामपुरा की पेश की है। जो प्रदर्श–4 है, जिसमें खसरा नम्बर 2/1 रकबा 344 बीघा 8 बिस्वा के आगे नामान्तरकरण संख्या 18 द्वारा खसरा नम्बर 2/1 में से 2/1/4 रकबा 5 बीघा बा. वादी के नाम गैर खातेदारी स्वीकार हुई है, का अंकन है। इससे यह प्रतीत होता है कि वादी के नाम खसरा नम्बर 2/1/4 का नामान्तरकरण स्वीकार होकर नक्शे में तरमीम होकर गैर खातेदारी अंकित करने का नोट जमाबन्दी में लगा जो वादी की गैर खातेदारी अभिलेख में अंकित होने की स्थिति खसरा नम्बर 2/1/4 रकबा 5 बीघा के संदर्भ में नक्शे में तरमीम सहित प्रकट करता है। प्रतिवादी ने अपने जबाबदावे में इसका खण्डन नहीं

किया है। अतः यह पक्षकारों के अभिवचन द्वारा स्वीकृत तथ्य होने से उत्तम साक्ष्य है।

10. वादी ने अपने वादपत्र में जमाबन्दी सम्वत 2056 से 2059 पेश की है जिसमें खसरा नम्बर 23 रकबा 1.53 हेक्टर बा. प्रथम व खसरा नम्बर 24 रकबा 1.58 हेक्टर बा.प्रथम अंकित है तथा चारागाह दर्ज है। खाता संख्या 10/10 है तथा खसरा नम्बर 23 व 24 को दर्शित करने वाला नक्शा भी पेश किया है। वादी ने अपने वाद में मिलान क्षेत्रफल पेश किया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 24 व 90 खसरा नम्बर 2/1मि. साबिक से बने है। क्षेत्रफल में सा0न0 23 अंकित है। खसरा नम्बर 90 का क्षेत्रफल 28.31 हेक्टर व खसरा नम्बर 24 का क्षेत्रफल 1.58 हेक्टर अंकित है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी–3 है। वादी ने अपने वादपत्र में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस की प्रमाणित प्रति पेश की है जो कि प्रदर्श पी–5 है। जिसके अनुसार वादी को खसरा नम्बर 24 व 90 की 2.10 पर अतिचार का नोटिस दिया है जो कि दिनांक 11.1.96 को जारी हुआ है।

11. इससे यह स्पष्ट होता कि वादी को खसरा नम्बर 2/1/4 का गैर खातेदार अभिलेख में टिप्पणी द्वारा जरिये नामान्तरकरण अंकित किया गया था। वादी ने खातेदारी अंकित होने का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वादी का यह वाद कथन स्थापित नहीं होता है कि वह खातेदार दर्ज रेकर्ड रहा था। साथ ही गैर खातेदार दर्ज होना प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति है तथा गैर खातेदारी अधिकार सक्षम अधिकारी के आदेश द्वारा समाप्त होने का प्रतिवादी का कथन नहीं होने से गैर खातेदार रही होना विवादित नहीं है।

12. अब प्रश्न यह रहता है कि वादी ने वाद के साथ हाल साबिक का ऐसा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है जो खसरा नम्बर 2/1/4 के नये नम्बरों को प्रकट करता हो। साथ ही भू प्रबन्ध पश्चात अपने नाम दर्ज रकबे की जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है। वादी ने खसरा नम्बर 2/1/4 पर उदघोषणा व निषेधाज्ञा चाही है तथा अपने वाद में अतिक्रमण हेतु जिस नोटिस को वाद हेतुक होना प्रकट किया है उसमें खसरा नम्बर 24 व 90 का अंकन है। वादी ने ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जो इन्हें साबिक खसरा नम्बर 2/1/4 से बनना प्रकट करता हो। वादी रामसिंह पी.डब्ल्यू.1 के बयान अनुसार खसरा नम्बर 2/1/4 का नया खसरा नम्बर 23 व 24 है तथा रकबा 10 बीघा कथित किया है। पी.डब्ल्यू. 2 महाराजसिंह, पी. डब्ल्यू. 3 राजूलाल भी 10–12 बीघा रकबा है, का कथन करते है।

13. डी.डब्ल्यू.1 पूरनचंद गुप्ता तहसीलदार, महवा हाल खसरा नम्बर 24 रकबा 0.85 हेक्टर पर वादी अतिक्रमी है, का कथन किया है तथा खसरा नम्बर 2/1/4 का कब्जा हो तो ज्ञात नहीं का कथन

किया है। विजेन्द्रसिंह डी.डब्ल्यू. 2 पटवारी के अनुसार वादी के नाम जगरामपुरा में कोई खातेदारी जमीन नहीं है। इसके अनुसार खसरा नम्बर 23 चारागाह भूमि है तथा खसरा नम्बर 24 पर वादी काबिज है।

14. वादी ने अपना वादपत्र वर्तमान रेकर्ड के नम्बरों को अंकित कर दादरसी नहीं चाही है जो कि चाही जानी चाहिए थी। पुराने नम्बर को अधिकार का स्त्रोत होने के रूप में कथित किया जा सकता है परन्तु आज उसके आधार पर घोषणा करना उचित नहीं रहता है। क्योंकि प्रस्तुत अभिलेख अनुसार वह वादी की गैर खातेदारी में अंकित होने से घोषणा का बिनाय मुखासमत (वाद हेतुक) उत्पन्न नहीं होता है एवं उस नम्बर का धारा 91 भू. राजस्व अधि0 का नोटिस जारी नहीं होने से उस नम्बर को कथित कर निषेधाज्ञा का भी बिनाय मुखासमत(वाद हेतुक) उत्पन्न नहीं होता है।

15. जब वादी बयानों में 10 बीधा की उसके गवाह 10–12 बीघा की बात करते हैं तथा नामान्तरकरण 5 बीघा का है तो स्पष्ट है कि वादी स्पष्ट वाद कथन के साथ नहीं आया है। ऐसी स्थिति में वाद वादी खारिज कर विचारण न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत कथनों व तथ्यों के दृष्टिगत सारतः व निष्कर्षतः ऐसी कोई त्रुटि नहीं की है तथा वादी ने अपने अधिकारों की स्पष्ट रूप से स्थापित करने वाली ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जो वादी के अधिकार की साबिक हाल अभिलेख के आधार पर हाल अभिलेख में पहचान वाद कथन अनुसार स्थिर करती हो। प्रकरण में विधि का कोई प्रश्न निहित नहीं है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों एवं डिक्रियों में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। यह अपील उपरोक्त विवेचन अनुसार खारिज किये जाने योग्य है।

16. फलतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.8.2006 तथा सहायक कलक्टर, महुवा के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.1.2002 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य